**संख्या:-123/2021/338आ0/23-5-21-09(भवन)/2018**

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

**लोक निर्माण अनुभाग-5** **लखनऊ : दिनांक : 12 नवम्बर, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-80-051-21-00-24 "निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का विस्तार/जीर्णोद्धार/निर्माण"(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद वाराणसी व हरदोई के 02 निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-425बीजीबी/109बीजीबी/नि0भवनों/सर्किट हा0 का जीर्णो0/निर्माण(चालू कार्य)/21-22, दिनांक 18.10.2021, सं0-168बीजीबी/109बीजीबी/नि0भवनों/सर्किट हा0 का जीर्णो0/निर्माण(चालू कार्य)/21-22, दिनांक 13.07.2021 एवं सं0-692बीजीबी जी/109बीजीबी/निरी0भवनों/सर्किट हाउसों का जीर्णोद्धार/निर्माण/2021-22, दिनांक 20.10.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु उसके सम्मुख अंकित धनराशि **रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्र0 सं0 | शासनादेश संख्या व दिनांक | कार्य का नाम | योजनावार स्वीकृत धनराशि | आवंटित धनराशि | अवशेष धनराशि | निर्गत की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | (धनराशि लाख रू0 में) | | | |
| 1 | 1434ईजी/23-5-13-50(67)ईजी/2005, दिनांक 30.09.2013 एवं 70/2020/215आ0/23-5-20-50(67) ईजी/2005, दिनांक 18.11.2020 द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति। एवं 163आ0/23-5-21-09(भवन)/2018, दिनांक 21.06.2021 | जनपद वाराणसी के सर्किट हाउस परिसर में 06 अतिरिक्त सूट एवं मीटिंग हाल का निर्माण कार्य। | 525.58 | 246.83 | 278.75 | 20.00 |
| 2 | 65/2020/145आ0/23-5-20-10 (भवन)/2020टीसी-1, दि0 19.10.2020 | हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत निरीक्षण भवन सवायजपुर में 02 रूम के अतिरिक्त सूट का निर्माण कार्य। | 80.09 | 20.00 | 60.09 | 10.00 |
| | | **योग :-** | | | | **30.00** |

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-21-निरीक्षण भवन/सर्किट हाउसों का विस्तार/जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य)-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

**..../02..**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

**संख्या:-123/2021/338आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी वाराणसी व हरदोई।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0, वाराणसी।
9- अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी वृत्तएवं उन्नाव वृत्त, लो0नि0वि0।
10- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, वाराणसी।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, हरदोई।
12- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।